डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजी. क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, बुधवार दिनांक 13 मार्च 2002—फाल्गुन 22, शक 1923

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 35 सन् 2001)

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक सन् 2001) है.

2. यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगा.

3. यह अधिनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा.

धारा-45 सीसी का समावेश.

4. धारा 45 सी. के पश्चात् निम्नांकित धारा जोड़ी जावेगी :—

45—सी.सी. अभिवहन में माल की जांच करने की शक्ति

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में किसी माल का सड़क द्वारा परिवहन करने वाला प्रत्येक परिवहनकर्ता प्रेषक द्वारा जारी किया गया बीजक बिल चालान या अन्य दस्तावेज, नाम से चाहे जो भी हो, जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएगी जो विहित की जाए, अपने साथ रखेगा.

(2) कोई अधिकारी, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी का पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिवहनकर्ता से यान को किसी भी स्थान पर रोकने की अपेक्षा कर सकेगा तथा उसे या उसे सहायता कर रहे अन्य व्यक्तियों को दस्तावेजों का, जो परिवहनकर्ता,

के कब्जे में हो, निरीक्षण करने देगा कि क्या वे 'वही हैं' जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट हैं तथा धारा 45-ए की उपधारा (5) में निर्दिष्ट घोषणा की प्रति और क्या ऐसे समस्त दस्तावेज सुवाच्य, सही तथा पूर्ण हैं. परिवहनकर्ता, यदि उस अधिकारी द्वारा वैसी अपेक्षा की जाय तो, अपना नाम तथा पता और यान का स्वामी, यान के भारसाधक व्यक्ति से भिन्न होने की दशा में स्वामी के नाम तथा पते, उनके/उसके नाम तथा पते और माल के प्रेषक तथा प्रेषिती के नाम तथा पते और उनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के क्रमांक यदि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हों, भी देगा.

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, यान के निरीक्षण पर यह पाता है कि परिवहनकर्ताकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजें नहीं ले जा रहा है या ले जा रहे दस्तावेज व्यवस्थित नहीं हैं या परिवहनकर्ता उपधारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा की प्रतिलिपि नहीं ले जा रहा है तो वह परिवहनकर्ता को निर्देश दे सकेगा कि वह माल तथा दस्तावेज सहित यान को निकटतम जांच चौकी पर या उसके द्वारा नामित वृत्त या उप वृत्त कार्यालय पर ले जाए और उसे वहां रोके और उसे उतने समय तक खड़ा रखे जितना धारा 45-ए के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपेक्षित किया जाए.

(4) तदुपरान्त उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, माल और/या यान का अभिग्रहण करने तथा धारा 45-ए के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही आरंभ करेगा और इस प्रयोजन के लिए—

(एक) वह जांच चौकी अधिकारी द्वारा उस धारा के अधीन प्रयोग की जाने योग्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा;

उपबंध

छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 2001

वर्तमान प्रावधान.

45 (सी) धारा 45-ए के अधीन प्रस्तुत की गई घोषणा की शुद्धता को सत्यापित करने या मिथ्या या अशुद्ध घोषणा को प्रस्तुत करने का निवारण करने की दृष्टि से, वाणिज्यिक कर विभाग का कोई भी पदाधिकारी, जो सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ऐसे माल का उसे लादने या उतारने के स्थान पर उस माल के हक संबंधी दस्तावेजों सहित निरीक्षण कर सकेगा और ऐसे यान का, जिसमें ऐसे माल का परिवहन किया गया हो, स्वामी या तत्समय प्रभारी व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी को इस प्रयोजन के लिए समस्त सहायता देगा.

45 (सी.सी.) **अभिवहन में माल की जांच करने की शक्ति**

उक्त धारा के पश्चात्, अंत:स्थापित की जाने वाली प्रस्तावित धारा.

(1) छत्तीसगढ़ राज्य में किसी माल का सड़क द्वारा परिवहन करने वाला प्रत्येक परिवहनकर्ता प्रेषक द्वारा जारी किया गया बीजक बिल चालान या अन्य दस्तावेज, नाम से चाहे जो भी हो, जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी जाएगी, जो विहित की जाए, अपने साथ रखेगा.

(2) कोई ऐसा अधिकारी, जो वाणिज्यिक कर अधिकारी का पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो, जिसे आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किया जाए, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए परिवहनकर्ता से यान को किसी भी स्थान पर रोकने की अपेक्षा कर सकेगा और तदुपरि परिवहनकर्ता यान को रोकेगा और उतने समय तक खड़ा रखेगा.

(दो) वह, उस धारा में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा तथा

(तीन) उस धारा के उपबंध ऐसी कार्यवाहियों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

उद्देश्य एवं कारणों का कथन

कर अपवंचन को रोकने हेतु राज्य की सीमाओं पर दिनांक 15-05-2001 से पांच जांच चौकियां स्थापित की गई हैं, इसके बावजूद कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां पर जांच चौकियां स्थापित नहीं की जा सकी हैं, जिससे वाहनों का आवागमन होकर कर अपवंचन किया जाना संभावित है. म. प्र. में 31-3-94 तक समान प्रावधान धारा 29-सी.सी. के अधीन प्रभावी थे. इन प्रावधानों के साथ उक्त अवधि में अच्छे परिणाम प्राप्त

हुए थे, अतः कर अपवंचन पर प्रभावी नियंत्रण करने हेतु चलित वाहनों का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने की शक्तियां विभाग के अधिकारियों को प्रदान किए जाने बाबत् अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित है.

रायपुर : रामचन्द्र सिंहदेव
दिनांक : 11 दिसम्बर, 2001 भारसाधक सदस्य

जब तक कि उसके द्वारा अपेक्षित हो तथा उसे या उसे सहायता कर रहे अन्य व्यक्तियों को दस्तावेजों का, जो परिवहनकर्ता, के कब्जे में हो यह सत्यापित करने की दृष्टि से निरीक्षण करने देगा कि क्या परिवहनकर्ता, उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को धारा 45-ए की उपधारा (5) में निर्दिष्ट घोषणा की प्रति भी अपने साथ ला रहा है और क्या ऐसे समस्त दस्तावेज सुवाच्य, सही तथा पूर्ण हैं. ऐसा अधिकारी ऐसी तलाशी और निरीक्षण यथासंभव शीघ्रता से करेगा. परिवहनकर्ता, यदि उस अधिकारी द्वारा वैसी अपेक्षा की जाय तो, अपना नाम तथा पता और यान का स्वामी यान के भारसाधक व्यक्ति से भिन्न होने की दशा में स्वामी के नाम तथा पते, उनके/उसके नाम तथा पते और माल के प्रेषक तथा प्रेषिती के नाम तथा पते और उनके रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र के क्रमांक यदि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो, भी देगा.

(3) यदि उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, यान के निरीक्षण पर यह पाता है कि परिवहनकर्ताकारी उपधारा (1) में निर्दिष्ट दस्तावेजें नहीं ले जा रहा है या ले जा रहे दस्तावेज व्यवस्थित नहीं हैं या परिवहनकर्ता उपधारा (2) में निर्दिष्ट घोषणा की प्रतिलिपि नहीं ले जा रहा है तो वह परिवहनकर्ता को निर्देश दे सकेगा कि वह माल तथा दस्तावेज सहित यान को निकटतम जांच चौकी पर या उसके द्वारा नामित वृत्त या उप वृत्त कार्यालय पर ले जाए और उसे वहां रोके और उसे उतने समय तक खड़ा रखे जितना धारा 45-ए के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपेक्षित किया जाए.

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अधिकारी, जो यान को रोकता है और उसे निकटतम जांच चौकी या वृत्त या उप वृत्त कार्यालय पर ले जाने का निर्देश देता है शीघ्र ही ऐसी जांच चौकी या वृत्त या उप वृत्त कार्यालय पहुंचेगा और वहां पर माल और/या यान का अभिग्रहण करने तथा धारा 45-ए के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही तुरन्त आरंभ करेगा और इस प्रयोजन के लिए —

(एक) वह जांच चौकी अधिकारी द्वारा उस धारा के अधीन प्रयोग की जाने योग्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा,

(दो) वह, उस धारा में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा.

(तीन) उस धारा के उपबंध ऐसी कार्यवाहियों के लिए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001